

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

04-12-2020

पञ्चवली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वहील वाही उपर। प्रकरण में बहस वहील वाही पूर्व में सुनी जा चुकी है। बरवस्त बहस वहील वाही ने अपने वात्पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए भूतविक्रम अनुतोष तथा डिंडी फरमाये जाने का निवेदन किया।

पञ्चवली, पञ्चवली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, सरपंच गांवें गोविन्दपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शपथपत्रों आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वहील वाही पर सगीर मनन किया गया। अग्नि वादी के पिता के समस्त दस्तावेजों में यथा शशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मत्दाता पद्यान पत्र में वादी के पिता का सही नाम प्रभूदयाल पुत्र दूलाराम ही दर्ज है तथा सरपंच गांवें गोविन्दपुरा ने श्री उमर दुरुस्ती हेड अभिशंभा की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि -

आदेश


तन ग्राम उदयपुरा पंच एव गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीमा (राज.) अवस्थित हबि अग्नि ख. नं. 645, 647, 648, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 699, 700, 703, 705 ता 716, 629, 195, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 665, 354, 355, 356, 361, 362 के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का बोलता नाम " प्रभात पुत्र दूला " के स्थान पर वादी के पिता अ वास्तविक, सही व सम्मानजनक नाम " प्रभूदयाल पुत्र दूलाराम " दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिंडी जारी हो। पञ्चवली कैतल शपार



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

होकर नम्बर से रुम हो तथा बाद तकनील दाखिल
वफ्तुर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04-12-2020 को
मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले
न्यायालय में सुनाया गया।


(राकेश कुमार)

RAS

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डला
(फास्ट ट्रेक) खण्डला